कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा

Tel. no.-06341-223812, 8986915300
E-mail- rwdsheikhpura20@gmail.com

पत्रांक......1282....../ **शेखपुरा, दिनांक**....21/08/2024....../

प्रेषक, ई0 विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,
श्री चन्द्रभुषण शर्मा, पिता–कमलेश्वरी शर्मा,
प्रबंध भागीदार,
मेसर्स आदित्या कंस्ट्रक्शन, ग्राम+पोस्ट–सर्वा, थाना–बरबीघा, जिला–शेखपुरा।

विषयः– शीर्ष–MMGSY योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पथ में अनुरक्षण कार्य कराने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक–1243 दिनांक 13.08.2024.

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि शीर्ष–MMGSY योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पथ **हरिजन सामुदायिक भवन T02 से बेलखुंडी पथ** का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा BRRMS App के माध्यम से दिनांक 13.08.2024 को किया गया है, स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उल्लेखित पथ के दोनो Shoulder पर बड़े–बड़े घास/झाड़ी उगे हुए हैं, पथ के चैनेज 700 मीटर से 900 मीटर पथांश में पी0सी0सी0 सड़क में दरार (10 मीटर लम्बाई में) हो गया है, एवं कुछ स्थानों पर पथ का किनारा टूट गया है, जिसमें सुधार कराने की आवश्यकता है, साथ ही ह्यूम पाईप पुलिया का पारापेट दीवाल रंग–रोगण कराने की आवश्यकता है। प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको पथ में मरम्मति कार्य कराने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक 21.08.2024 तक अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है। आपके द्वारा किये गए एकरारनामा के अनुसार उल्लेखित त्रुटियों को ससमय सुधार कराना आपकी पूर्ण जबावदेही है।

अतः कार्यहित में पुनः निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर पथ में उल्लेखित सभी आवश्यक कार्य संबंधित कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के देख–रेख में पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें, अन्यथा वाध्य होकर एकरारनामा में अंकित सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन
21.8.24
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा